

## इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 226 / प्र०अ० - भवन / जोन-4 / 2011-12 दिनांक 12/11/2012

### अनुमति-पत्र

दह अनुमति ल०प्र०८ नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 वं 15 के अन्तर्गत दो जाती हैं, किन्तु अर्थ यह न समझाना चाहिये कि उस शृंगी के सन्वच्छ ने विस नर समूह आवास (अफौडेबुल शाहरा) गानचित्र स्टील किया जा रहा है, इससे किसी ब्रकार या किसी राजनीय निकाय या इसके स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा कार्य के गालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर नहीं आजाए, यह अनुमति किसी के विवेकानुसार स्थानित के अधिकारों के विषद्व द्वारा प्रभाव न रखेगी।

श्री विनय श्रीबन्द्र गुप्ता, श्री आशीष श्रीबन्द्र गुप्ता एवं श्री अमिनेष श्रीबन्द्र गुप्ता द्वारा भवन सं०-७९ आराजी सं०-११/१ चक रघुनाथ नैनी इलाहाबाद 11/2 (पार्टी) भवन सं०-७६ एवं 11/३ गौजा चक रघुनाथ, नैनी इलाहाबाद जोन सं०५। (1) के ४०८० तारिख दाखिल समूह आवास मानचित्र के ब्रस्तावित स्थान पर निर्माण ली अनुमति निर्माणित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :

1. छ०प्र०० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के व्याविधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही लगभग/उपर्योग किया जायेगा, भग्न निर्गण एवं विकास उपर्योग 2008 में उपर्योग संख्या-2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना कावश्यक है।
2. यह स्त्रीवृति क्लन्टिम (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्गण पूर्ण होने के त्वरण, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्त पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वासविल उपर्योग में लाया जा सकेगा।
3. स्थल पर 4X3 फैट एक बोर्ड लगाकर स्वीकृति सम्बन्धी चिह्नण अंकित करना होगा।
4. प्रशुपा लैण्ड रकेप प्लान के अनुसार स्थल कर पूर्णता वृक्ष (३० नम्बर) लगाने होगे तथा वृक्षों को हरा-गरा रखने का वायिल नियमण/टिकासकर्ता/रेजीस्टर रिकार्डों का होगा।
5. पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पूर्ण चिह्नण शुल्क राबन्दी लगाप्ति पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जायेगा।
6. स्थल पर सोलर बाटर सीटीम संधार की स्थापना अनिवार्य रूप से की जायेगी तथा रांगेजन किङ्ग एवं टायलेट में आवश्यक रूप से करना होगा।
7. रेगवटर हार्टीस्टंग प्रणाली मानक के अनुरूप गूण कशाते हुए नू र्भ जल विनाय से अनापत्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
8. स्थल पर आन्तरिक विकास कार्य प्रस्तावना के अनुसार पूर्ण करते हुए पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा, इस हेतु प्रत्युत आवाहन में कोई बड़ातारी होती है तो उसका भुगतान आवेदक/विकासकर्ता को बहन करना होगा।
9. प्रस्तुत नानार्थ छुल ९६ आवासीय इकाई (अफौडेबुल शाहरा) की अनुमति हेतु है, इतिरिक्त इकाईयों का नियमण निषेद्ध होगा।
10. उप्र०० अपार्टमेन्ट एक्ट 2011 एवं राज्य 2011 की समरत प्रभावी नियम एवं शर्त मात्र होगी।
11. Value of Property की घोषणा एक वर्ष के अन्दर आवश्यक रूप से करनी होगी।
12. स्थल पर नीजूल गुराने डॉये को शुशल इंजीनियर की देख-रेख में प्रशंस करना होगा, जिससे जन-धन की हानि न होने पाए।
13. नियमण ने प्रयुक्त सामग्री एवं उत्तरार्जित गतवा को डाप्ने परिसर में ही रखा जायेगा इस हेतु दिये गये शास्त्र नन्द दिनांक 06.10.2012 का अक्षरा अनुप्लान करना होगा।
14. जुड़ लगियता विधि, पूर्ववल विवृत नियमण लियन लिमिटेड, 73, ऐमोर दारग, इलाहाबाद की अनापत्ति दिनांक 25.09.2012 जिसकी आयापत्ति एतद् राज्य इंग्रेजित प्रतिबन्धों का अन्तर्गत पालन करना होगा। (छायाप्रति संलग्न)

Continued

*Revised Section map*

*With Permit letter*

*and all exclusions*

*12-11-12 Sanjeet Singh 9506129577*

